

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

प्रलिस के लयि:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल दुर्व्यवहार, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), राष्ट्रीय अपराध रपौरट ब्यूरो (NCRB), [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम, 2012](#), बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई, [कशोर नयाय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) संशोधन अधनियम, 2021](#)

मेन्स के लयि:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लयि गठति तंत्र, कानून, संस्थाएँ एवं नकिया

[सुरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बाल अश्लीलता चतिरण की पहचान करने और उसे हटाने के लयि अलफाबेट की Google, मेटा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता वाले नयिमों का मसौदा तैयार करने पर सहमत व्यक्त की, जसिमें कहा गया कि इससे रंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रभावति नहीं होगा।

- वर्ष 2022 में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावति बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) पर मसौदा नयिम, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के समर्थक और नगरानी के वषिय में चतिरि गोपनीयता कार्यकर्त्ताओं के बीच वविद का वषिय रहा है।
- यूरोपीय आयोग ने तकनीकी कंपनयिों द्वारा [सर्वैच्छकि पहचान और रपौरटगि ससि्टम की अपर्याप्तता](#) को संबोधति करते हुए CSAM की पहचान करने तथा उसे हटाने के लयि ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता वाले नयिमों का प्रस्ताव रखा।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बाल अश्लीलता चतिरण क्या है?

परचिय:

- चाइल्ड पोर्नोग्राफी से तात्पर्य स्पष्टत: नाबालगिों से जुड़ी यौन सामग्री के नरिमाण, वतिरण या परगिरह से है। भारत और वशिव स्तर पर यह गंभीर प्रभाव वाला एक जघन्य अपराध है, जो बच्चों के यौन शोषण और उनसे दुर्व्यवहार जारी रखता है।
- ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिजिटल शोषण की अभवियक्ति है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालगिों से जुड़ी स्पष्ट यौन सामग्री के उत्पादन, वतिरण या परगिरह को संदर्भति करती है।
- [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(संशोधन\) अधनियम, 2019](#) चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्पष्ट तौर पर कसिी बच्चे से जुड़े यौन आचरण के कसिी भी दृश्य चतिरण के रूप में परभिषति करता है जसिमें फोटोग्राफ, वीडयो, डिजिटल या कंप्यूटर से उत्पन्न छवयिों शामिल होती हैं जो वास्तवकि बच्चों से अप्रभेद्य हैं।

भारतीय परदृश्य:

- चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में बढ़ोतरी भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाती है [राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो \(National Crime Records Bureau-NCRB\)](#) 2021 की रपौरट के अनुसार, वर्ष 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 738 मामले थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 969 हो गए थे।

प्रभाव:

- मनोवैज्ञानकि प्रभाव:** पोर्न बच्चों पर मनोवैज्ञानकि प्रभाव डालता है। यह अवसाद, क्रोध तथा चति से संबंधति है। इससे मानसकि पीड़ा हो सकती है। इसका प्रभाव बच्चों के दैनकि कामकाज़, उनकी जैवकि क्रयिओं (Biological Clock), कार्य एवं सामाजकि संबंधों पर भी पड़ता है।
- कामुकता पर प्रभाव:** इसे नयिमति रूप से देखा जाना यौन संतुष्टि और यौन उत्तेजना की भावना उत्पन्न करता है, जसिसे वास्तवकि जीवन में भी समान कृत्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है।
- यौन व्यसन:** कुछ वशिषज्जों के अनुसार, पोर्नोग्राफी एक व्यसन की भाँती की तरह है। यह मस्तषिक पर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा नयिमति रूप से नशीली दवाओं अथवा शराब के सेवन से होता है।

- **व्याहारिक प्रभाव:** कशिशरों में पोरनोग्राफी का उपयोग, खासकर पुरुषों के मामले में, लैंगिक रूढ़िवादिता में मज़बूत वशिवास से जुड़ा है। जो पुरुष कशिशर अकसर पोरनोग्राफी देखते हैं, उनके द्वारा महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखे जाने की अधकि संभावना होती है।
 - महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हसिा को प्रोत्साहति करने वाले वचिशरों को पोरनोग्राफी द्वारा प्रबलति कथिा जा सकता है।

पोरनोग्राफी से नपिटने में क्या चुनौतथियाँ हैं?

- उच्च वर्ग के बच्चों की तुलना में नमिन वर्ग के बच्चों में पोरनोग्राफी का प्रभाव अलग होता है। कोई भी एकल दृषटकिण समस्या **क्रेरभावी ढंग से हल में सक्षम नहीं** होगा।
- भारत में **सेक्स को नकारात्मक (कुछ ऐसा जसिे छपिया जाना चाहथिे) रूप में देखा जाता है।** सेक्स के संबंध में कोई स्वस्थ पारविरकि संवाद नहीं होता है। इससे बच्चा बाहर से सीखता है और उसे पोरनोग्राफी की लत लग जाती है।
- **एजेंसथियों के लथिे चाइलड पोरनोग्राफी की गतविधथियों का पता लगाना** और उन पर प्रभावी ढंग से नगिरानी रखना बहुत मुश्कलि है।
- नथिमति रूप से वेबसाइट्स और अमेर्जन प्राइम, नेटफ्लकिस्, हॉटस्टार इत्यादि जैसी OTT (ओवर द टॉप) सेवाओं पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता से गैर-अश्लील तथा अश्लील सामग्री के बीच अंतर करना मुश्कलि हो जाता है।

बच्चों के साथ अश्लीलता और शोषण को रोकने के लथिे भारत की क्या पहलें हैं?

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियम, 2012:**
 - **POCSO अधनियम, 2019 में संशोधन** कथिा गया है, जसिमें बच्चों के गंभीर यौन उत्पीड़न के लथिे मृत्युदंड जैसे कड़े उपाय शामिल हैं।
 - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधनियम, 2019 ने भारत में चाइलड पोरनोग्राफी पर अंकुश लगाने के लथिे कई प्रावधान प्रस्तुत कथिे हैं।
 - संशोधति अधनियम के अनुसार, जो कोई भी कसिी बच्चे या बच्चों का उपयोग अश्लील उद्देश्यों के लथिे करता है, उसे कम-से-कम पाँच वर्ष का कारावास होगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा और दूसरी अथवा बाद की स्थति में कारावास की अवधिसात वर्ष से कम नहीं होगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **अन्य पहल:**
 - **आईटी अधनियम 2000**
 - **बाल दुरव्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई**
 - **बेटी बचाओ बेटी पढाओ**
 - **कशिशर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधनियम, 2015**
 - **बाल वविाह नषिध अधनियम (2006)**
 - **बाल शरम नषिध एवं वनियमन अधनियम, 2016**
 - **वशिष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के अंतरगत POCSO न्यायालय**

आगे की राह

- चाइलड पोरन पर तत्काल प्रतबिध लगाए जाने की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लथिे सामान्यतः कसिी **बच्चे का पहली बार पोरन से संपर्क आकस्मकि** होता है। इंटरनेट पर अन्य चीजों को ब्राउज़ करते समय वजिज़ापन के रूप में, सरकार को इस तरह के आकस्मकि जोखमि को रोकने के लथिे **तकनीकी समाधान खोजने का प्रयास** करना चाहथिे।
- जागरूकता के साथ **यौन शकिषा बहुत ज़रूरी है, इसलथिे स्कूलों में इसे अनविर्य कथिा जाना चाहथिे।** माता-पति और शकिषकों को आधुनकि प्रौद्योगिकि में बच्चों के साथ व्यवहार करने में कुशल होना चाहथिे।

वधिकि दृषटकिण:

पॉक्सो (POCSO) अधनियम लैंगकि रूप से तटस्थ

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

